मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा

त्रैवार्षिक चुनाव

2015-17

से संबंधित जानकारी

रूप क्रमांक २

(देखिये नियम ५)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक ६३७६

यह प्रमाणित किया जाता है कि 'मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा' समिति जो जीवन कालोनी, बल्देवबाग, जबलपुर, तहसील-जबलपुर, जिला-जबलपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्र. ४४ सन् १९७३) के अधीन २५ फरवरी १९७८ को पंजीयित की गई है।

दिनांक-पच्चीस, माह-फरवरी सन् १९७८

सही :

गंगाप्रसाद श्रीवास्तव

समितियों के रजिस्ट्रार

२५/२

सील :

पंजीयक समितियां, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा (पंजीयत)

पंजीयन क्र० ६३७६

❋ विधान ❋

दिनांक ९-५-७६ से प्रारम्भ

मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा

जीवन कालोनी, बल्देवबाग

ज ब ल पु र ४८२००२

[मूल्य : दो रुपया]

विधान

अध्याय–१ : प्रारम्भ

अनुच्छेद—

[१] नाम—इस संस्था का नाम मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा होगा। यह संस्था इस विधान में इसके पश्चात् महासभा शब्द से सम्बोधित की जायेगी।

[२] विस्तार – महासभा का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश तथा आसपास के उन क्षेत्रों और स्थानों तक होगा जहाँ अग्रवालों का निवास है या जहाँ कोई अग्रवाल संस्था कार्य करती है।

[३] प्रारम्भ – यह विधान से स्वीकृत होने के दिन से लागू होगा।

[४] कार्यालय— महासभा का प्रमुख कार्यालय जबलपुर में स्थित होगा। आवश्यकतानुसार इसके क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालय भी स्थापित किये जा सकेंगे।

[५] वर्ष—महासभा का वर्ष १ जनवरी से प्रारम्भ होकर आगामी ३१ दिसम्बर को समाप्त होगा।

अध्याय–२ : उद्देश्य और कार्य

[६] महासभा के निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य होंगे—

[क] संगठनात्मक—

१. प्रदेश के सभी अग्रवाल नर-नारियों और अग्रवाल संस्थाओं को संगठित करना।
२. अग्रवालों की जन-गणना करना और कराना।
३. राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर निर्देशिकाएँ, डायरेक्टरी तैयार करना और उनका प्रकाशन करना और कराना।
४. बाल, युवा, महिला, वयस्क वर्ग के विकास तथा मनोरंजन के लिए अग्रवाल मित्र-मण्डलों की स्थापना करना।
५. एक अग्रवाल पत्रिका का प्रकाशन करना।
६. अग्रवाल समाज को संगठित करने, उसमें बौद्धिक चेतना भरने और उसके मनोरंजन के लिए समय-समय पर तथा स्थान-स्थान पर अग्रवाल अधिवेशनों तथा समारोहों, महापुरुषों की जयन्तियों, कवि-सम्मेलनों, नाटकों, प्रदर्शनियों, मेलों, यात्राओं, गोष्ठियों और शिविरों आदि का आयोजन करना और कराना।

[ख] शैक्षणिक—

१. कला, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता, विधि, वाणिज्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में अग्रवाल प्रतिभाओं की सृजनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा वार्षिक अधिवेशन एवं अन्य समारोहों में इन्हें पुरस्कृत तथा सम्मानित करना।
२. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ा-प्रांगणों आदि की स्थापना करना, उनका संरक्षण तथा संचालन करना और कराना।
३. समाजोपयोगी साहित्य की रचना, उसके मुद्रण, प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था करना और कराना।

[ग] सामाजिक—

१. अग्रवाल जाति की प्रचलित प्रथाओं में सुधार के लिए समयानुकूल आवश्यक कदम उठाना।
२. दहेज की माँग को रोकना और दिखावे को बन्द करना।
३. सामूहिक विवाहों का आयोजन, उनका प्रचार और प्रसार करना तथा दिन में विवाहों को प्रोत्साहित करना।
४. अग्रवालों के विवाह योग्य युवक और युवतियों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विवाह केन्द्रों की स्थापना करना तथा वैवाहिक सूचियों का प्रकाशन करना और कराना।
५. सामाजिक परम्पराओं का समय-समय पर अध्ययन करना, उन्हें समयानुकूल बनाना, साथ ही संस्कृति और आदर्शों की रक्षा करते हुए उनका परिष्कार करना।
६. समाज में प्रचलित सामाजिक संस्कारों के उत्तम सम्पादन और उनमें एकरूपता लाने की दृष्टि से एक आदर्श अग्रवाल समाज संस्कार विधि की रचना करके उसका प्रचार और प्रसार करना।

[घ] महिलाओं, युवकों और बाल-बालिकाओं का उत्थान—

१. समाज की प्रत्येक गतिविधि में महिलाओं, युवकों एवं बाल-बालिकाओं और बालकों के उत्थान का विशेष ध्यान रखना तथा उनकी अपनी स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से उनमें चेतना भरना तथा मातृ और बाल शक्ति का विकास कर समाज को सम्पुष्ट करना।
२. महिलाओं, युवकों एवं बाल-बालिकाओं के हितों की रक्षा करना, उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करना और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाना।
३. एक अग्रवाल महिला एवं युवक संगठन की स्थापना करना तथा महासभा के प्रत्येक संगठन और कार्य में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना।
४. विधवा तथा निराश्रित महिलाओं और असहाय बाल-बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से उन्हें सहयोग देना।

[ङ] आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रगति—

१. युवा अग्रवालों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा उन्नत बनाने के लिए रोजगार केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
२. अग्रवाल समाज के आर्थिक, व्यवसायिक तथा औद्योगिक हितों की रक्षा करना। इसके लिए सरकार से सहयोग लेना तथा उसे देना।
३. स्थान-स्थान पर कोष/न्यास की स्थापना करके धन संग्रहण करना तथा उससे जरूरतमंद लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना।
४. समाज में फैली हुई बेकारी को दूर करने के लिए अग्रवाल व्यापारिक संस्थानों में रोजगार के इच्छुक अग्रवालों को काम दिलाने का प्रयत्न करना तथा यदि सम्भव हो तो महासभा के संरक्षण में अग्रसेन सहकारी संस्थानों की स्थापना करके समाज की बेकारी को दूर करना तथा जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएँ सुलभ कराना।

[च] निर्माणात्मक तथा रचनात्मक कार्य—

१. मध्यप्रदेश में स्थान-स्थान पर जो भी अग्रवाल धर्मशालाएँ, भवन, मन्दिर, छात्रावास, विद्यालय, वाचनालय, विवाह केन्द्र, अग्रवाल संस्थाओं के कार्यालय, चिकित्सालय तथा अन्य निर्माण तथा रचनात्मक कार्य करने वाली संस्थाएँ एवं ट्रस्ट आदि हैं, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए

भवन निर्माण करना, कराना उनका पुनरुद्धार करना, उनमें सहयोग देना, उनमें होनेवाले व्यय के दुरुपयोग को रोकना तथा सदुपयोग को बढ़ावा देना।

२. उक्त कार्य करने की दृष्टि से स्थान-स्थान पर अग्रसेन कोषों (न्यासों) की स्थापना करना या कराना तथा सभी अग्रवालों से अपनी आय का कुछ अंश कोष में देने की अपील करना तथा ऐसे आयोजन करना जिससे प्रेरणा प्राप्त कर अग्रवाल समाज, महासभा को आर्थिक सहयोग प्रदान करें।

[छ] अन्य लोकोपयोगी कार्य करना जिनसे राष्ट्रीय और लोक-कल्याणकारी हितों में वृद्धि हो—

१. मानव समाज के हित के लिए राष्ट्रीय तथा लोकोपयोगी कार्यों में सहयोग देना तथा अन्य ऐसे कार्य करना जिनसे राष्ट्रीय और लोक-कल्याणकारी हितों में वृद्धि हो।

२. मध्यप्रदेश के अन्य समाजों में स्नेहपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना, उन्हें सहयोग देना और उनसे सहयोग लेना।

३. पूज्यनीय अग्रसेन के समाजवाद को चरितार्थ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन-सहयोग की भावना जागृत करना तथा दुःखी व्यक्तियों को सहयोग देकर उन्हें ऊँचा उठाना।

४. ऐसे अन्य कार्य करना जिनसे अग्रवाल समाज, मध्यप्रदेश, राष्ट्र और मानवता का हित हो।

५. संस्था के नाम, बिना किसी जातीय, धार्मिक एवं वर्गीय भेद-भाव के सबके लिए उपलब्ध रहेंगे।

अध्याय–३ : महासभा का स्वरूप और सदस्यता

[७] महासभा का स्वरूप–

मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा, अग्रवाल समाज का मध्यप्रदेशीय स्तर का सक्रिय संगठन अपने दृष्टि-कोण में उदार होगा। वह अपने समाज के हितों की रक्षा तथा उसका विकास और सुधार करता हुआ राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति पूर्ण निष्ठावान होगा। वह अपने को कोई भिन्न इकाई न मानते हुये, भारतीय राष्ट्र तथा समाज का एक अभिन्न अंग होगा।

[८] महासभा की सदस्यता–

(क) प्रत्येक अग्रवाल, जो महासभा द्वारा मान्य अठारह गोत्रों से किसी एक को धारण करता है और जिसकी आयु १८ वर्ष से ऊपर हो और उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने जिसका वह प्रतिनिधि है, अपना निहित शुल्क अदा कर दिया है, ऐसा व्यक्ति महासभा का सदस्य बन सकेगा।

(ख) महासभा के सदस्य तीन प्रकार के होंगे–

(१) व्यक्तिगत सदस्य जिन्हें महासभा सीधा अपना सदस्य बना ले।

(२) संस्थागत सदस्य– वह सदस्य जिसे महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अग्रवाल संस्था प्रतिनिधि के रूप में महासभा की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये भेजे।

(३) मनोनीत सदस्य– अग्रवाल समाज के वे नेता, विद्वान तथा समाजसेवी कार्यकर्त्ता जिनकी अग्रवाल समाज में उनके गौरव विद्वता, तथा सेवा के लिये फलस्वरूप प्रतिष्ठा है, महासभा के मनोनीत सदस्य होंगे। ऐसे सदस्य महासभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

[९] महासभा के सदस्य के अधिकार और कर्त्तव्य–

(१) वह महासभा द्वारा आयोजित अधिवेशनों या समारोहों में भाग ले सकेगा।

(२) वह अपना प्रस्ताव, अपने विचार तथा अपना आवेदन लिखित रूप में महासभा में प्रस्तुत कर सकेगा तथा निमंत्रित किये जाने पर महासभा की सभाओं की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा और यदि वह उस सभा का सदस्य है तो उसमें मतदान कर सकेगा।

(३) वह महासभा की कार्यकारिणी तथा अन्य समितियों के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकेगा तथा उसमें मतदान कर सकेगा।

(४) वह महासभा की वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्यय विवरण, अन्य लेख पत्रों बजट महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों आदि की जानकारी ले सकेगा अथवा संभव हो तो प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा तथा इनके संबंध में प्रश्न पूछ सकेगा।

(५) वह महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों, महासभा के विधान, नियम उपनियम, आदि पालन करेगा। अपना शुल्क यदि कोई शेष हो, समय पर अदा करेगा और यथाशक्ति तन, मन, धन से समय-समय पर महासभा के कार्य में सहयोग देता रहेगा।

[१०] सदस्यता की समाप्ति–

निम्नलिखित दशाओं में महासभा की सदस्यता समाप्त हो जावेगी–

(१) व्यक्ति की दशा में उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके पागल हो जाने पर तथा संस्था का प्रतिनिधि होने की दशा में जिस संस्था का प्रतिनिधित्व करता है उसके निष्क्रिय, अमान्य तथा समाप्त हो जाने पर।

(२) सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।

(३) निर्धारित शुल्क के, यदि कोई हो, वर्ष के अन्त होने से तीन मास से पहिले तक न देने पर या संस्था के प्रतिनिधि होने पर, उस संस्था द्वारा न दिये जाने पर।

(४) महासभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों के ३।४ मतदान द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

(५) महासभा या उसकी समिति की लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर।

(६) उस व्यक्ति या उसे प्रतिनिधि के रूप में भेजने वाली संस्था ने यदि अग्रवाल समाज के या महासभा के हितों के विरुद्ध कार्य किया हो।

[११] सदस्यता का प्रवेश पत्र–

(क) महासभा का प्रवेश-पत्र (क) व्यक्ति के लिये और प्रवेश-पत्र (ख) संस्था के लिये होगा। यह प्रवेश पत्र प्रत्येक सदस्य और संस्था द्वारा भरा जावेगा। इसे महासभा का अध्यक्ष या महामंत्री नियमानुसार सदस्यता सदस्य की स्वीकृति से स्वीकार करेगा।

(ख) महासभा का प्रवेश-शुल्क ५/रू. अंकन में पाँच रुपये होगा। ग्रामसभा अंतरंग समिति कार्यकारिणी स्वीकृति से घटा बढ़ा सकेगी। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह वार्षिक शुल्क में आवश्यक रियायत दे सके।

[१२] व्यक्तिगत सदस्यता–

(क) व्यक्तिगत सदस्यता का अर्थ महासभा की वह सदस्यता है जो महासभा द्वारा किसी अग्रवाल व्यक्ति सीधी प्रदान की गई है।

(ख) व्यक्तिगत सदस्यता की निम्नलिखित कोटियां होंगी–

१. संरक्षक सदस्य : जो अग्रवाल नर-नारी महासभा को ५,००१) रु० पांच हजार एक। या उससे अधिक दान दे। महिला वर्ग के लिये केवल ५०१) की राशि स्वीकार की जा सकेगी।

२. आजीवन सदस्य : जो अग्रवाल नर-नारी महासभा को १,००१) रु० या उससे अधिक दान दे। महिला वर्ग के लिये केवल १०१)रु० की राशि स्वीकार की जा सकेगी।

३. साधारण सदस्य : जो अग्रवाल नर-नारी महासभा को प्रतिवर्ग २१) रु० (इक्कीस रुपये) शुल्क दे।

[१३] संस्थागत सदस्यता--

महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, महासभा की साधारण सभा के सदस्य होंगे। ये अपनी ओर से कोई शुल्क महासभा को अदा नहीं करेंगे। इनका शुल्क संस्था स्वयं देगी। उन्हें भेजने वापस बुलाने, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य भेजने का अधिकार संस्था को होगा तथा ऐसे सदस्य संस्था के मान्य रहने तक महासभा के सदस्य रह सकेंगे। इनके वे कर्त्तव्य और अधिकार होंगे जो धारा ६ में दिये गये हैं।

[१४] (क) शाखाओं की स्थापना–

महासभा जहां उचित समझेगा, अपनी शाखाओं की स्थापना करेगा। उसे अपनी शाखाओं के लिये नियम-उपनियम बनाने का अधिकार होगा। ये शाखाएं महासभा के आधीन, उसके नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। इन शाखाओं की सदस्यता अनुच्छेद १३ के अनुसार होगी।

[ख] अग्रवाल संस्था को महासभा द्वारा मान्यता प्रदान करना–

किसी भी अग्रवाल संस्था को मान्यता देते समय, महासभा निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा–

१. यह संस्था मध्यप्रदेश के किसी क्षेत्र या स्थान में अग्रवाल समाज के हित में कोई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, विज्ञान, उद्योग आदि विषयक कार्य करती है तथा अग्रवालों से गठित है।

२. उसके सदस्यों की संख्या कम से कम ५ हो।

३. वह महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों, उसकी नीतियों, उसके विधान, नियम उप-नियमों को मानने तथा महासभा के कार्य के प्रचार और प्रसार में सहयोग देने का वचन देती है।

४. वह अपनी वार्षिक सम्पूर्ण सदस्यता शुल्क का दसमांश या ३१/रु० इनमें जो भी अधिक हो प्रति वर्ष महासभा को उसका वर्ष समाप्त होने के तीन मास पहिले तक अदा करेगा। अधिकतम संस्था शुल्क की सीमा १०१) होगी। आमसभा, सदस्यता शुल्क अंतरंग समिति कार्यकारिणी की स्वीकृति से घटा बढ़ा सकेगी।

[१५] महासभा सर्वोपरि सत्ता होगी–

सदस्यता प्रदान करने में और मान्यता देने में, अमान्य करने पर या फिर से मान्यता देने आदि में महासभा का अधिकार सर्वोपरि होगा। महासभा प्रवेश-पत्र प्राप्त होने के एक मास में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से व्यक्ति या संस्था को सूचित करेगी। किसी भी व्यक्ति या संस्था को सदस्यता या मान्यता देना या न देना महासभा के विवेक पर होगा। महासभा को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त प्रवेश पत्र अस्वीकृत कर दे।

[१६] मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को भेजना—

संस्थागत सदस्यों का निर्वाचन मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया जावेगा :—

सदस्य संख्या	५ से २५ तक —	२ प्रतिनिधि
,,	२६ से ५० तक —	३ ,,
,,	५१ से १०० तक —	४ ,,
,,	१०१ से १५० तक —	५ ,,
,,	१५१ से २०० तक —	६ ,,
,,	२०१ से २५० तक —	७ ,,
,,	२५१ से ३०० तक —	८ ,,
,,	३०१ से ३५० तक —	९ ,,
,,	३५१ से ४०० तक —	१० ,,
,,	४०१ से ४५० तक —	११ ,,
,,	४५१ से ऊपर —	१२ ,,

[१७] प्रतिनिधि का महासभा की सभाओं में भाग लेना—

महासभा द्वारा सदस्यता स्वीकृत होने पर ही संस्थाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि महासभा की सभाओं में भाग ले सकेंगे।

[१८] सदस्यों द्वारा महासभा में कोई लाभप्रद पद ग्रहण न करना—

कोई भी सदस्य महासभा में कोई लाभप्रद पद धारण नहीं करेगा अर्थात् वह अपनी सेवाओं के लिए महासभा से अपने पूर्णकालीन या अंशकालीन कार्य के लिए कोई वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। यदि महासभा उचित समझे तो वह सदस्यों को उनके कार्य के लिए विशेषतया जब वे मुख्य निवेश से बाहर जाएँ, वाहन या यात्रा व्यय आदि ले सकेगा। इसी प्रकार किसी सदस्य की प्रशंसनीय सेवाओं के लिए उसे पुरस्कृत भी किया जा सकेगा।

अध्याय—४ : महासभा का सार्वजनिक खुला अधिवेशन

[१९] सार्वजनिक अधिवेशन—

१. महासभा १ या अधिक से अधिक ३ वर्षों में अपना एक सार्वजनिक अधिवेशन म० प्र० के ऐसे किसी नगर में करेगा जहाँ की संस्था या संस्थाएँ उसे निमंत्रित करें अन्यथा वह स्वयं अपनी ओर से अपने द्वारा निश्चित नगर में इसे सम्पन्न करेगा।

२. यह अधिवेशन एक समारोह के रूप में सम्पन्न होगा। इसमें महासभा के सदस्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के अग्रवाल नर-नारी और अन्य सभाओं के व्यक्ति भी मुख्य अतिथि या दर्शक के रूप में आमन्त्रित किये जा सकेंगे।

३. महासभा के महामन्त्री, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवेशन का दिन, स्थान, समय कार्यक्रम आदि को निर्धारित करके इसके होने के ६० दिन पहिले इसकी सूचना सदस्यों को देगा।

४. महासभा के सार्वजनिक खुले अधिवेशन का खर्च महासभा अथवा वह संस्था या संस्थाएँ वहन करेंगी जो उसे निमंत्रित करें। इस व्यय में सदस्यों के आवास और भोजन आदि का भी व्यय सम्मिलित होगा। सदस्यों का मार्ग व्यय आदि स्वयं अथवा उन्हें भेजने वाली संस्थाएँ वहन करेंगी।

५. महासभा के सार्वजनिक अधिवेशन में अध्यक्ष द्वारा निर्णित अग्रवाल तथा अन्य विभूतियों का सम्मान किया जा सकेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जा सकेगा और अनुरोध किए जाने पर वे अपने विचार, भाषण, सम्बोधन आदि के रूप में सामाजिक अथवा प्रचलित विषयों पर प्रकट कर सकेंगे। सांस्कृतिक समारोह जैसे कवि-सम्मेलन, अभिनय, युवक एवं महिला अधिवेशन, पत्रकार अधिवेशन आदि कार्यक्रम भी इस अवसर पर हो सकेंगे।

अध्याय–५

महासभा की साधारण सभा, उसका गठन तथा कर्त्तव्य और अधिकार

[२०] साधारण सभा—

१. महासभा की कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार साधारण सभा की बैठकों का आयोजन करेगी परन्तु वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक के रूप में इसका आयोजन करना अनिवार्य होगा।

२. साधारण सभा सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा गठित होगी।

३. इसकी गणपूर्ति समस्त सदस्यों की संख्या की एक तिहाई या २१ जो भी कम हो, होगी। स्थगित बैठक में गणपूर्ति का विचार नहीं होगा और वह प्रारम्भिक सभा के होने के एक घन्टे बाद फिर से शुरू की जा सकेगी।

४. महासभा का महामंत्री अध्यक्ष की अनुमति से साधारण सभा की बैठक का दिन, स्थान, समय तथा कार्यक्रम आदि निर्धारित करके इसके होने से ३० दिन पहले इसकी सूचना महासभा के समस्त सदस्यों को निमन्त्रण पत्र द्वारा भेजेगा।

५. सदस्यों की ओर से भेजे जाने वाले साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ सभी प्रस्ताव या मामले बैठक से १५ दिन पहले महामंत्री के पास आ जाने चाहिये। इसके बाद प्राप्त प्रस्तावों और मामलों पर अध्यक्ष की विशेष अनुमति से ही विचार किया जावेगा।

६. साधारण सभा की बैठक का व्यय महासभा अथवा वह संस्था या संस्थाएँ करेंगी जो उसे निमंत्रित करें। इस व्यय में सदस्यों के आवास और भोजन आदि का व्यय भी सम्मिलित होगा। सदस्यों का मार्ग व्यय आदि सदस्य स्वयं अथवा उन्हें भेजनेवाली संस्थाएँ वहन करेंगी।

७. साधारण सभा के निम्नलिखित कर्त्तव्य और अधिकार होंगे

[क] महासभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।

[ख] महासभा की सामान्य नीति, उसके कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण करना।

[ग] महासभा के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।

[घ] महासभा की वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्यय विवरण आदि को स्वीकार करना।

[ङ] आवश्यकतानुसार महासभा के विधान में उपस्थित सदस्यों के ६० प्र०श० मतों के आधार पर संशोधन करना।

८. साधारण सभा की विशेष बैठक निम्नलिखित शेष दशाओं में की जा सकेगी—

१. जब कि महासभा की कार्यकारिणी समिति साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक समझे।

२. जब कि महासभा के सदस्यता संख्या का दस प्र०श० या कम से कम ३१ सदस्य किन्हीं विशेष मामलों को लेकर ऐसी विशेष बैठक की मांग करें। ऐसी मांग के प्राप्त होने के ६० दिन के अन्दर अध्यक्ष, साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाएगा।

३. विशेष बैठक के लिए भी बैठक होने के ३० दिन पहले बैठक की सूचना सदस्यों को भेजी जायेगी।

४. विशेष बैठक में केवल उन्हीं बातों पर विचार किया जायेगा, जिनके लिये वह बुलाई गई है।

अध्याय–६ कार्यकारिणी समिति, उसका गठन, निर्वाचन तथा कर्त्तव्य और अधिकार

[२१] कार्यकारिणी समिति का गठन–

१. महासभा के सामान्य कार्य का संचालन इसकी कार्यकारिणी समिति द्वारा होगा। इसके पदाधिकारियों का निर्वाचन महासभा के सदस्यों में से महासभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। पदाधिकारियों में से कम से कम तीन पदाधिकारी महिलाएं होंगी।

२. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार होगा—

[क] व्यक्तिगत सदस्य, किसी भी नगर में जहां महासभा के व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या ५ से १० तक हो, वहां से मिलकर कार्यकरिणी समिति के लिये एक सदस्य का चुनाव करेंगे। यदि संख्या १० से अधिक हो तो वे कार्यकारिणी के लिये १० प्र०श० सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। आधे सदस्य के स्थान पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। आधे से कम का निर्वाचन नहीं होगा।

[ख] संस्थागत सदस्य – प्रत्येक सम्बंधित संस्था कम से कम १ सदस्य का कार्यकरिणी समिति के लिये चुनाव करेंगी। यदि किसी संस्था में १० से अधिक महासभा के सदस्य हैं, तो वह भी १० प्र०श० सदस्यों का निर्वाचन करेंगी। आधे सदस्य के स्थान पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा, आधे से कम का निर्वाचन नहीं होगा।

[ग] महासभा के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह महासभा के मनोनीत सदस्यों में से अथवा उनसे बाहर भी ५ सदस्यों की कार्यकरिणी समिति के लिये उनके महत्व और उपयोगिता के आधार पर मनोनीत करें। उसमें यथा सम्भव एक महिला सदस्यता एवं एक युवक संगठन का सदस्य भी होगा।

[घ] संरक्षक कार्यकारिणी एवं अंतरंग समिति का आजीवन सदस्य होगा।

[ङ] आजीवन सदस्य दस वर्ष के लिये कार्यकारिणी का सदस्य होगा।

व्यक्तिगत और संस्थागत सदस्यों के कार्यकारिणी प्रतिनिधि चयन की घोषणा प्राप्त न होने पर अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदस्य की सूचना प्राप्त होने तक नामजद कर सकता है।

३. पदाधिकारियों में किसी स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति महासभा का अध्यक्ष, महामंत्री के परामर्श से शेष समय के लिये नाम निर्देशन–नामिनेशन–द्वारा कर सकेगा।

[२२] विशेष आमंत्रण–

महामंत्री कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में आवश्यकतानुसार विशिष्ट व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकेगा। वे अनुरोध किये जाने पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

[२३] कार्यकारिणी समिति का बुलाना–

१. कार्यकारिणी समिति की वर्ष में प्रायः तीन बैठकें होंगी। किन्हीं भी दो बैठकों में ६ मास से अधिक का अन्तर नहीं होगा।

२. कार्यकारिणी समिति के कम से कम ११ सदस्यों की संयुक्त लिखी मांग आने पर अध्यक्ष की अनुमति से महामंत्री मांग प्राप्त होने की तारीख से ३० दिन के भीतर कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक बुलायेगा तथा इसमें केवल उन्हीं मामलों पर विचार होगा, जिसके लिये वह बुलाई गयी है। तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विचार किया जा सकेगा।

३. महासभा का महामंत्री, अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी समिति की बैठक को आमंत्रित करेगा। वह उसका दिन, स्थान, समय तथा कार्यक्रम नियत करेगा और बैठक होने के तीस दिन पहिले कार्यकरिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को इसकी सूचना देगा।

४. कार्यकारिणी समिति की बैठकों का खर्चा महासभा वहन करेगा अथवा वे संस्था या संस्थाएं करेंगी जिनके अनुरोध पर बैठक उनके यहां बुलाई जायेगी। इस खर्चे में सदस्यों के आवास एवं भोजनादि का खर्चा भी सम्मिलित होगा। मार्ग व्यय सदस्य स्वयं वहन करेंगे या उन्हें भेजनेवाली संस्था वहन करेगी।

५. कार्यकारिणी समिति में विचार के लिये बैठक होने से १० दिन पहिले तक जो भी मामले या प्रस्ताव आयेंगे उन पर ही विचार किया जा सकेगा। इसके बाद आने वाले अत्यावश्यक तात्कालिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की विशेष अनुमति से विचार किया जा सकेगा।

६. साधारण सभा की किसी भी बैठक के तुरन्त बाद अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक मौखिक सूचना से बुलाई जा सकेगी।

७. महासभा का महामंत्री अध्यक्ष की अनुमति से धारा २३(३) के उपबन्धों को पूरा करते हुए कार्यकारिणी समिति की बैठक साधारण सभा की किसी बैठक के तुरन्त पूर्व बुला सकता है।

८. कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की १/३ या ११ जो भी कम हो, होगी।

९. **स्थगित बैठक** – गणपूर्ति के अभाव में एक घण्टा प्रतीक्षा करने के बाद कार्यकारिणी समिति की स्थगित बैठक उसी स्थान पर हो सकेगी। इस बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार हो सकेगा जिनके लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलायी गयी थी।

[२४] कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्त्तव्य–

१. कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत विषयों, प्रस्तावों आदि पर विचार कर अपना निर्णय देना।

२. यह देखना कि महासभा की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में जो निर्णय लिये गए हैं, उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है और उनका पालन कराना।

३. महासभा के पदाधिकारियों तथा वैतनिक कर्मचारियों के कार्य का अवलोकन करना तथा इन पर नियंत्रण करना।

४. महासभा की वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्यय विवरण तथा अन्य विवरणों को पारित करना तथा साधारण सभा की बैठक में उन्हें स्वीकृत कराना।

५. महासभा के कार्यकाल, उसके संगठन तथा महासभा की समितियों के कार्य का निरीक्षण करना तथा उन्हें नियंत्रण में रखना।

६. महासभा की नीतियों के संचालन एवं कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न उप-समितियों का गठन करना तथा उनके सदस्यों और संयोजकों की नियुक्ति करना।

७. महामंत्री के प्रतिवेदन पर महासभा के वेतनभोगी तथा लाभ प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

८. महासभा की चल तथा अचल सम्पत्ति की रक्षा, क्रय, विक्रय, बंधक, हस्तांतरण, अर्जन तथा व्यय हेतु निर्णय करना।

९. महासभा के विभिन्न कार्यों के लिए व्यय की ऐसी विशेष स्वीकृति देना जो १०००) से अधिक हो तथा इनसे कम राशि के व्ययों की सम्पुष्टि करना।

१०. ऐसे अन्य कार्य करना, जो महासभा के हित में आवश्यक हों तथा जिनके करने की महासभा की साधारण सभा उससे अपेक्षा करे।

अध्याय–७ : महासभा के पदाधिकारी, उनके कर्त्तव्य और अधिकार

(२५) महासभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे जो कि कार्यकारिणी समिति के भी पदाधिकारी होंगे—

	संख्या	
अध्यक्ष	१	
वरिष्ठ उपाध्यक्ष	१	
उपाध्यक्ष	१०	इनकी संख्या में आवश्यकतानुसार और कार्य के अनुसार कमी तथा वृद्धि हो सकेगी।
महामंत्री	१	
उप-महामंत्री	१	
मंत्री	१०	इनकी संख्या में आवश्यकतानुसार और कार्य के अनुसार कमी तथा वृद्धि हो सकेगी।
कोषाध्यक्ष	१	
उप-कोषाध्यक्ष	१०	इनकी संख्या में आवश्यकता और कार्य के अनुसार कमी तथा वृद्धि हो सकेगी।

सभी भूतपूर्व अध्यक्ष और महामंत्री महासभा के आजीवन मानसेवी पदाधिकारी होंगे तथा महासभा की सभी बैठकों में भाग ले सकेंगे।

[२६] पदाधिकारियों का निर्वाचन—

१. अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, उप-महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन साधारण सभा की वार्षिक बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों में से सम्पन्न होगा तथा प्रारम्भिक उक्त पदाधिकारी जिनके नाम साथ संलग्न हैं, तीन वर्ष के लिए याने वर्ष १९७८ तक पदासीन किये जाते हैं।

२. उपाध्यक्षों, मंत्रियों तथा उप-कोषाध्यक्षों का चयन अध्यक्ष और महामंत्री के परामर्शानुसार होगा जिसकी घोषणा अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष की जावेगी। अध्यक्ष आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन कर सकेगा।

३. समय-समय पर पदाधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन हो सकेगा।

[२७] अध्यक्ष के कर्त्तव्य और अधिकार—

१. महासभा की साधारण सभा की बैठकों, कार्यकारिणी समिति की बैठकों तथा अन्य सभाओं की अध्यक्षता करना।

२. महासभा के समस्त कार्यों, उसकी चल तथा अचल सम्पत्ति, आय-व्यय आदि पर अपना सामान्य नियंत्रण रखना, उनका संरक्षण करना और महासभा के किसी भी पदाधिकारी को कोई कार्य करने को प्राधिकृत करना और उनका मार्गदर्शन करना।

३. सभाओं में किसी प्रस्ताव या मामलों में समान मतदान होने पर निर्णायक मत देकर निर्णय करना।

४. आवश्यकता पड़ने पर महासभा के हित में महामंत्री की सलाह से उचित कार्यवाही करना।

५. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय शासनों तथा मध्यप्रदेश की अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों से सम्पर्क रखना तथा महासभा की ओर से प्रतिनिधित्व करना।

६. महासभा के संबंधित सभी विषयों पर आवश्यकता पड़ने पर महासभा के हित में लोकमत का ध्यान रखते हुए भी विशेषाधिकारों का प्रयोग करना।

७. किसी भी विषय में १०००)रु० तक के व्यय की स्वीकृति देना तथा कार्यकारिणी समिति से उसकी सम्पुष्टि कराना।

८. महत्वपूर्ण लेखों, महासभा के विधान, विवरणों आदि पर स्वीकृति स्वरूप अपने हस्ताक्षर करना।

९ उन सभी अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करना जिनकी महासभा में प्रमुख के नाते उनसे इस विधान के अन्तर्गत या अन्यथा अपेक्षा की जाये।

१०. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महासभा की किसी भी सभा या समिति की अध्यक्षता चाहे कोई भी कर रहा हो, अध्यक्ष के पधारने पर सामयिक प्रधान उनके लिये आसन छोड़ देंगे तथा शेष कार्यवाही अध्यक्ष की प्रधानता में सम्पन्न होगी।

११. अध्यक्ष महासभा की साधारण सभा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा गठित समिति अथवा उप-समिति का पदेन सदस्य होगा।

[२८] वरिष्ठ उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य और अधिकार—

महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महासभा की साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समाओं की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

[२९] उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा अध्यक्षता करना—

यदि अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में से कोई भी उपस्थित न हो तो उस सभा की अध्यक्षता करने के लिये महामंत्री उस सभा में उपस्थित किसी भी उपाध्यक्ष से और उनकी भी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य से प्रार्थना कर सकेगा।

[३०] उपाध्यक्षों के कर्त्तव्य और अधिकार—

१. उपाध्यक्ष महासभा के उन कार्यों का निरीक्षण करेंगे जो उन्हें सौंपे जाये तथा संगठन और प्रचार कार्य में अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वे वहां के कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।

२. उपाध्यक्ष वे सब कार्य करेंगे तथा उन अधिकारों का प्रयोग करेंगे जिन्हें महासभा या कार्यकारिणी समिति या अध्यक्ष उसके लिये निर्धारित करें।

३. जो उपाध्यक्ष जिस समिति या उप समिति का सदस्य होगा वह उसका अध्यक्ष कहलावेगा यदि किसी समिति या उप-समिति में एक से अधिक उपाध्यक्ष होंगे तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, उपाध्यक्षों में से, समिति को गठित करने वाले करेंगे।

[३१] महामंत्री के कर्त्तव्य और अधिकार :—

१. महामंत्री महासभा के समस्त कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।
२. वह महासभा से सम्बन्धित संस्थानों से सम्पर्क रखेगा, उन्हें सहयोग देगा और उनसे सहयोग लेगा।
३. वह अध्यक्ष की अनुमति से महासभा की साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों की बैठक निमंत्रित करेगा। उसका दिन, समय, स्थान तथा कार्यक्रम निर्धारित करके, उसकी सूचना सदस्यों को निहित समय में देगा।
४. महासभा तथा उसकी सभाओं और समितियों में विचारार्थ जो भी प्रस्ताव, रिपोर्ट, सुझाव आदि आयें, वह उन्हें अध्यक्ष की अनुमति से सभाओं और समितियों में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।
५. वह सभाओं और समितियों से कार्यवृत को तैयार करके उसे सभा को आगामी बैठक में सम्पुष्टि के लिये रखेगा और यदि सम्भव हो तो उसके सदस्यों को भी सूचनार्थ भेजेगा।
६. वह महासभा के कोषाध्यक्ष से महासभा के आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार कराके कार्यकारिणी समिति और महासभा के अधिवेशन में उसकी स्वीकृति प्राप्त करेगा। लेखा परीक्षक से उसकी परीक्षा करायेगा तथा जो भी आपत्तियाँ होंगी, समाधान करेगा।
७. वह महासभा की स्वीकृति के लिये महासभा के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट अन्य महत्वपूर्ण विवरण तैयार कराके उन्हें स्वीकृति के लिये कार्यकारिणी समिति तथा महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करेगा।
८. वह महासभा की ओर से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय साधनों तथा अन्य संस्थानों तथा व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करेगा तथा अध्यक्ष की अनुमति से महासभा का प्रतिनिधित्व करेगा।
९. वह अपने अधिकार से किसी एक मद् से ५००·०० रु० तक की राशि व्यय कर सकेगा, जिसकी पुष्टि वह कार्यकारिणी समिति से करायेगा।
१०. वह अपने कार्य में मंत्रियों से सहयोग प्राप्त करेगा। किसी कार्य को करने की उनसे अपेक्षा करेगा। उनमें कार्य वितरण करेगा तथा उनका पथप्रदर्शन करेगा।
११. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर वह महासभा की ओर से न्यायालयों में एक पक्ष रहेगा। वह महासभा की ओर से न्यायालयों में दावा कर सकेगा। उस पर दावा किया जा सकेगा। इस कार्य के लिये वह किसी भी व्यक्ति को पावर आफ अटर्नी। मुख्तारनामा दे सकेगा।
१२. महासभा के सभी कर्मचारियों के कार्यों पर वह नियंत्रण रखेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उसे अधिकार होगा।
१३. वह महासभा की सम्पूर्ण व्यवस्था पर अपना अधिकार रखेगा और महासभा के हित में वह अध्यक्ष को उचित कार्यवाही करने के लिये अपना परामर्श देगा।
१४. वह महासभा की समस्त उपसमितियों का पदेन सदस्य होगा तथा उनमें उसी प्रकार भाग ले सकेगा मानो कि वह उसका सदस्य है।
१५. वह महासभा की ओर से समस्त महत्वपूर्ण कागजों, विवरणों, लेखों आदि पर हस्ताक्षर करेगा।
१६. महासभा के हित में वह उन सब कार्यों को करेगा या करायेगा, जिनका किया जाना वह उचित समझता है या जिनके करने की उससे महासभा, कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अपेक्षा करें।

[३२] उप महामंत्री के कर्त्तव्य और अधिकार—

उप महा मंत्री, महामंत्री की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्य का पालन करेगा तथा महा मंत्री की मौजूदगी में उसके द्वारा सौंपे गये कार्यों को करेगा।

[३३] मंत्रियों के कर्त्तव्य और अधिकार—

१. प्रत्येक मंत्री उन कार्यों को करेगा जिनके करने की अपेक्षा उससे महामंत्री करे।

२. जो मंत्री जिस समिति या उपसमिति का सदस्य होगा वह उसका संयोजक कहलायेगा। जिस समिति या उपसमिति में उक्त एक से अधिक मंत्री होंगे उनके संयोजक की नियुक्ति। मंत्रियों में से किसी एक की। समिति या उपसमिति को गठित करनेवाले करेंगे।

[३४] कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य और अधिकार—

१. कोषाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्रियों के सहयोग से महासभा के आय-व्यय का लेख करेगा। उसकी जांच करेगा और करायेगा तथा उसे महासभा की कार्यकारिणी की बैठकों में तथा साधारण सभा की बैठकों में महामंत्री के माध्यम से स्वीकृति के लिये रखेगा।

२. महासभा में जो भी वैतनिक लेखाकार। मुनीम। और रोकड़िया। कैशियर। होगा उस पर उसका नियंत्रण होगा।

३. वह महासभा की समस्त चल और अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करेगा उसका लेखा रखेगा तथा उनका आय व्यय मरम्मत महामंत्री के माध्यम से कराने की व्यवस्था करेगा।

४. वह महासभा के आय-व्यय का संपरीक्षण। आडिट। लेखा परीक्षक से करायेगा तथा उसकी आपत्तियों के उत्तर देने में महामंत्री की सहायता करेगा।

५. जो भी प्राप्तियां होंगी उनकी वह स्वहस्ताक्षरित या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा रसीदें देगा। इसी प्रकार जो भी व्यय होंगे उनकी पुष्टि में वह रसीद। वाउचर। आदि का प्रमाण स्वरूप अभिलेख रखेगा।

६. वह आय-व्यय संबंधी सभी रसीद पुस्तकों, रजिस्टरों आदि अभिलेखों को अपने अभिरक्षण में रखेगा तथा उनका हिसाब रखेगा। जो भी वसूली शेष हो, उन्हें उगायेगा।

७. वह अध्यक्ष तथा महामंत्री के सहयोग से किसी अनुसूचित बैंक में खाता रखेगा उससे रुपया निकालेगा, उसमें रुपया जमा करायेगा, चेक डिमान्ड ड्राफ्ट आदि जारी करेगा।

८. वह अपने पास विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक हजार रु० तक रख सकेगा।

९. वह यह देखेगा कि व्यय स्वीकृति के अनुसार होता है तथा आय और व्यय में संतुलन है।

१०. वह उन सभी कार्यों को करेगा जिनके करने को महासभा की साधारण सभा, उसकी कार्यकारिणी समिति तथा अध्यक्ष, उससे अपेक्षा करते हैं।

[३५] उप कोषाध्यक्षों के कर्त्तव्य और अधिकार—

ये उस कोषाध्यक्ष का उसके कार्य में सहायता करेगा, इनका कार्य-क्षेत्र अलग-अलग हो सकता है।

अध्याय—८ अंतरंग समिति

[३६] अंतरंग समिति

१. महासभा का दिन-प्रतिदिन का कार्य करने तथा दृष्टि से तुरन्त निर्णय लेने के विचार से महासभा एक अंतरंग समिति का गठन करेगा। जिसके सदस्य अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महामंत्री, उप महामंत्री, तथा कोषाध्यक्ष तथा संरक्षक सदस्य होंगे। इनकी बैठकों में आवश्यकतानुसार किसी भी उपाध्यक्ष, मंत्री और उपकोषाध्यक्ष और आजीवन सदस्यों या अन्य लोगों को अध्यक्ष की अनुमति से सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

२. महामंत्री आवश्यकतानुसार इस समिति की बैठकें बुलायेगा। ऐसी बठक होने के १० दिन पहिले वह बैठक के दिन, स्थान, समय तथा कार्यक्रम की सूचना देगा।

३. इस बैठक में सम्मिलित होने वाले अपना मार्ग व्यय स्वयं वहन करेंगे, आवास तथा भोजन की व्यवस्था और व्यय महासभा अथवा निमंत्रणकर्ता संस्था या व्यक्ति यथास्थित जैसा निश्चित हो वहन करेगा।

४. इस समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे—

(क) दिन प्रतिदिन के करने योग्य उन सब कार्यों पर विचार करना जिन्हें तुरन्त किया जाना है।

(ख) महासभा की कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभाओं में जो निर्णय हो चुके हैं उन्हें क्रियान्वित कराना।

(ग) साधारण सभा में या कार्यकारिणी समिति में जिन मामलों और प्रस्तावों पर विचार होना है। उसकी सामग्री का संकलन कराना तथा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणों और प्रारूपों पर विचार कर स्वीकार या अस्वीकार करना।

(घ) अंतरंग समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार किया जाकर यथा सम्भव सूचनार्थ इसके सदस्यों के पास भेजना।

(ङ) महासभा के कार्य में होने वाली दिक्कतों से उत्पन्न समस्याओं पर निर्णय लेना तथा आवश्यक नियम बनाकर उन्हें कार्यान्वित करना।

अध्याय ६—उप समितियाँ, उनके सदस्य और अन्य अधिकारी

[३७] उपसमितियाँ, संयोजक तथा सदस्य—

१. महासभा की कार्यकारिणी समिति को वह अधिकार होगा कि वह महासभा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये विभिन्न उप-समितियों की स्थापना करे, उनके संयोजकों को मनोनीत करे।

२. इस प्रकार स्थापित उप-समितियों के कार्याधिकारी संयोजक कहलायेंगे। ये संयोजक सम्मेलन के मंत्री ही होंगे। संयोजक अपनी उपसमिति के सदस्यों के सहयोग तथा मंत्रणा के अनुसार अपना कार्य करेंगे। संयोजक ही उपसमितियों की बैठकें आमंत्रित करेंगे तथा उनका संचालन करेंगे।

३. महासभा की उपसमितियों का कार्य महासभा की कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शन में होगा तथा समय समय पर वे अपने कार्यों का विवरण कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करेगा।

४. महासभा की समितियों में परिवर्तन तथा उन्हें समाप्त करने का अधिकार भी कार्यकारिणी समिति को होगा।

[३८] अन्य अधिकारी—

कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त महासभा का लेखा-परीक्षक / आडिटर / महासभा के वार्षिक आय-व्यय का परीक्षण कर उसके सम्बन्ध में अपनी आडिट आपत्तियों तथा सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट महासभा के महामंत्री को देगा तथा महामंत्री और कोषाध्यक्ष से अपनी आपत्तियों का समाधान प्राप्त करने पर अपना प्रमाण-पत्र देगा।

[३९] विधि परामर्शदाता—

महासभा की कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह महासभा की विधि संबंधी परामर्श देने तथा उसके हितों की रक्षा करने, न्यायालय में महासभा का पक्ष समर्थन करने के

लिये विधि व्यवसायी की सेवाएं निःशुल्क या सशुल्क प्राप्त करे। ऐसा विधि परामर्शदाता महासभा के महामंत्री की ओर से प्रदत्त पावर आफ अटार्नी भी अपने पास रख सकेगा।

[४०] सहायक अधिकारी—

१. महासभा की कार्यकारिणी समिति, महासभा के पदाधिकारियों को सहयोग सेवा और परामर्श देने के लिये सहायक अधिकारियों की नियुक्ति सवैतनिक या मानसेवा रूप में कर सकेगी, ये अधिकारी महासभा के महामंत्री के नियंत्रण में अपना कार्य करेंगे।
२. महासभा की कार्यकारिणी उपयुक्त नियुक्तियां करते समय उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करेगी तथा उनके अधिकारों, कर्त्तव्यों, पारिश्रमिकों, भत्तों आदि को नियत करेगी।
३. महासभा की कार्यकारिणी समिति सहायक अधिकारियों के रूप में सवेतनिक निर्वाचन अधिकारी, जनगणना, अधिकारी, कार्यालय अधिकारी आदि की नियुक्ति कर सकेगी। वह उन पर नियंत्रण रखेगी तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी कर सकेगी।
४. सहायक अधिकारी एवं कर्मचारी महासभा की साधारण सभा की बैठकों में, कार्यकारिणी समिति की बैठकों में अथवा किसी समिति एवं उप समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे, किन्तु महासभा के किसी पदाधिकारी के बुलाने पर उसकी सहायता करने तथा उसे जानकारी देने आदि के लिये बैठक में उपस्थित हो सकेंगे।

अध्याय—१० महासभा की निधि, सम्पत्ति तथा अर्थ-व्यवस्था

[४१] आय—

महासभा की आय के संबंध में साधन—स्त्रोत निम्नलिखित होंगे :

१. व्यक्तिगत सदस्यों और महासभा से संबंधित संस्थाओं से प्राप्त दान, एवं शुल्क।
२. शासन, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान, सहायता, दान, भेट आदि।
३. अर्जित चल तथा अचल संम्पत्ति से प्राप्त आय, ब्याज, बोनस, किराया आदि।
४. महासभा द्वारा दिये गये ऋणों, निर्क्षयों। डिपोजिट। तथा प्रतिभूतियों आदि से प्राप्त ब्याज, लाभ आदि।
५. महासभा द्वारा किये गये कार्यों और योजना से हुई आय, लाभ आदि।
६. अन्य अदृश्य तथा आकस्मिक लाभ जैसे महासभा को सम्पत्ति के विक्रय से होनेवाली आय, तथा आकस्मिक लाभ आदि।

[४२] व्यय—

महासभा के व्यय के विषय निम्नलिखित होंगे :—

१. महासभा के कार्यालयों तथा कार्यों में होनेवाला व्यय जैसे कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, लेखा-सामग्री, मुद्रण, मशीनरी, वाहन तथा टेलीफोन, तार, डाक, कार्यालयों का किराया, फर्नीचर तथा रख रखाव का व्यय आदि।
२. महासभा द्वारा आयोजित समारोहों, सभाओं तथा अन्य कार्यक्रम में होनेवाला व्यय।
३. पदाधिकारियों, सदस्यों कार्यकर्त्ताओं और कर्मचारियों को दिया जानेवाला यात्रा तथा अन्य भत्ता आदि।
४. महासभा द्वारा दिये गये पुरस्कारों, अनुदानों तथा सहायता आदि का व्यय।

५. महासभा द्वारा क्रय की गई चल तथा अचल सम्पत्ति का मूल्य उसका अनुरक्षण व्यय तथा ह्रास आदि।
६. महासभा द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर होनेवाला व्यय।
७. विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क, फीस, दान और किराया आदि।
८. महासभा द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान तथा दिया गया ब्याज आदि।
९. अन्य आकस्मिक तथा अदृश्य व्यय, हानि तथा डूबन्त निधि, निरस्त बकाया।

[४३] सुरक्षित धन :–

संरक्षक एवं आयोजन सदस्यों से या विशेषदान रूप में जो धन प्राप्त होगा वह महासभा का कोष बढ़ाने के लिये लिया जावेगा और उसे महासभा के सुरक्षित जन कल्याण कोष में बैंक में रखा जायेगा तथा उससे अर्जित ब्याज को ही सामान्य खर्च में लाया जा सकेगा।

[४४] महासभा की सम्पत्ति की रक्षा—

१. महासभा की कार्यकारिणी समिति तथा उसका अध्यक्ष महासभा की समस्त चल, अचल सम्पत्ति विशेषतः उस चल, अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य १,००० रु० से अधिक हो, के लिये उत्तरदायी होंगे। महासभा का अध्यक्ष इस सम्पत्ति के क्रय विक्रय, बंधन, हस्तांतरण, उसे ऋण पर देने अर्जन उसके विकास, अनुरक्षण संवर्धन तथा व्यय आदि के लिये उत्तरदायी होगा और यदि आवश्यक समझा जाये तो वह इसके लिये कार्यकारिणी समिति द्वारा संरक्षण मण्डल की स्थापना कर उसकी विशेष सुरक्षा की भी व्यवस्था करेगा।
२. इसी प्रकार महासभा की जो भी रक्षित धन-राशि है उसे महासभा की कार्यकारिणी समिति ऐसे रचनात्मक कार्यों में व्यय कर सकेगा, जो उत्पादक हों तथा उनके लाभ और ब्याज से प्रचार और समाज कल्याण कार्यों के व्ययों का काम किया जा सकेगा।
३. महासभा की कार्यकारिणी समिति तथा उसका अध्यक्ष इस बात का प्रयत्न करेंगे कि स्थान-स्थान पर अग्रसेन कोष अथवा अग्रसेन ट्रस्ट की स्थापना की जाये। समस्त अग्रवाल समाज से उसमें अपना वृहत् आर्थिक योगदान करने के लिये अपील की जाकर धन संग्रह किया जाये। इसके ब्याज तथा लाभ से जो राशि प्राप्त हो उससे राष्ट्र हित में रचनात्मक तथा जन-कल्याणकारी कार्य किये जावें।

[४५] महासभा की अर्थ नीति :—

महासभा के हित में यह उचित होगा कि उसका प्रचार, समारोह विषयक तथा कार्यालयीन व्यय मितव्ययिता पूर्ण हो। उसके आयोजनों में भव्यता आकर्षण और आत्म-प्रचार के स्थान पर रचनात्मक तथा लोक-कल्याणकारी कार्यों को महत्व दिया जाये और महासभा की अर्थनीति ऐसी हो जिसमें अग्रवाल जगत अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करें तथा सामान्यतः भारतीय समाज और विशेषतः अग्रवाल समाज के असहाय, पिछड़े हुए वर्ग को महासभा की सेवाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो।

अध्याय–११ : विविध उपबन्ध

[४६] महासभा का नियमित निकाय होना :—

(क) महासभा एक नियमित निकाय होगा। इसकी अपनी मुद्रा होगी। वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(ब) महासभा का रजिस्ट्रीकरण—महासभा का रजिस्ट्रीकरण, सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९७३, २१ के अधीन कराया जायेगा। उसके लिए महासभा का अध्यक्ष विधि परामर्शदाता की मंत्रणा से संस्था का ज्ञापन तथा विधान तैयार करके और विहित शुल्क जमा करके इसका रजिस्ट्रीकरण संबंधित अधिकारी के यहाँ करायेगा।

(स) सोसायटी– सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की कुछ धाराओं का वर्णीकरण: यह विधान इस संस्था के रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धाराओं ४, ६ १२, १३, १४ तथा १५ से इस विधान के अनुच्छेद ४६ के रूप में अंगीकार करता है।

[४७] शासकीय नियमों का प्रभाव होना :—

मध्यप्रदेश शासन तथा मध्यप्रदेश के अन्य समस्त संघ क्षेत्रों के समस्त विधान वहाँ तक जहाँ तक कि उनका इस विधान से सम्बन्ध है, इसके उपबन्धों पर प्रभावी होंगे और इस विधान की कोई भी बात उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं समझी जावेगी।

[४८] महासभा के काम-काज की भाषा तथा अंक—

१. महासभा अपना समस्त कार्य तथा शक्ति देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में करेगा। विशेष स्थिति में महासभा अन्य भाषाओं का प्रयोग, अपने पत्र-व्यवहार, प्रकाशनों आदि में कर सकेगा।

२. महासभा अपने काम-काज में देवनागरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अंकों का प्रयोग करेगा किन्तु एक लेख में एक ही भाषा के अंकों का प्रयोग अपेक्षित होगा।

[४९] नियम, उप-नियम, अनुसूची, प्रारुप आदि बनाने की शक्ति—

इस विधान के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के बारे में महासभा की कार्यकारिणी समिति आवश्यक होने पर नियम, उपनियम, अनुसूची, प्रारुप आदि की विरचना कर सकेगी तथा उसे उनमें संशोधन, परिवर्तन, लोपन तथा उसके निरसन का भी अधिकार होगा।

[५०] विधान में संशोधन—

(अ) यदि विधान में किसी लघु अथवा शाब्दिक संशोधन की आवश्यकता हो तो महासभा की कार्यकारिणी समिति अपनी बैठक में उपस्थित ३/४ मत से ऐसे संशोधन कर सकेगी। किन्तु यदि विधान में किसी सारवान, महत्वपूर्ण संशोधन तथा इसमें पर्याप्त संशोधन या इसके स्थान पर नये विधान के बनाये जाने की आवश्यकता हो तो इसके लिये कार्यकारिणी समिति एक विधान-समिति की नियुक्ति करेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही विधान में संशोधन किया जा सकेगा। ऐसा संशोधन महासभा की साधारण सभा के उपस्थित ३/५ मत द्वारा स्वीकृति होने पर ही प्रभावशील होगा।

(ब) इस विधान में संशोधन अंतर्गत सभा या कार्यकारिणी या आमसभा द्वारा पंजीयन करने तक की तारीख तक दिये जा चुके हैं उन्हें भी इसमें यथा स्थान जोड़ दिया गया है और वे स्वीकृत माने जा रहे हैं।

[५१] महासभा का विघटन—

महासभा का विघटन तब तक न होगा जब तक कि इसकी साधारण सभा की बैठक में इसके सम्पूर्ण सदस्यों का ३/५ ऐसे विधान के पक्ष में न हो और उसे ही महासभा की समस्त चल

अचल सम्पत्ति, उसकी आपत्तियों और दायित्वों का किसी भी संस्था को उसकी सहमति से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा।

[५२] महासभा के वर्तमान पदाधिकारी २६-(१) में वर्णित निम्नलिखित हैं--

१. अध्यक्ष—श्री बदीप्रसाद अग्रवाल जीवन कालोनी बल्देवबाग जबलपुर
२. वरिष्ठ उपाध्यक्ष—श्री माधुरीशरण अग्रवाल, ३ शामला हिलरोड भोपाल
३. महामंत्री—श्री लक्ष्मीचंद्र गुप्ता, गढ़ाफाटक जबलपुर
४. कोषाध्यक्ष—श्री कन्हैया लाल अग्रवाल, भारती प्रेस, राजनादगांव
५. उपमहामंत्री—श्री रतन लाल गर्ग २९ दलिया पट्टी मलहारगंज इन्दौर

*

मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा

प्रवेश पत्र (क) का प्रारूप

व्यक्तिगत के लिये सदस्यता का प्रवेश पत्र

(विधान के अनुच्छेद ११ के अधीन)

सेवा में,

महामंत्री जी,

मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा

जीवन कालोनी, बल्देवबाग जबलपुर २

महोदय,

मैं महासभा का संरक्षक / आजीवन सदस्यता / साधारण सदस्यता / चाहता / चाहती हूँ प्रवेश शुल्क ५ रु० तथा सदस्यता शुल्क .....रुपये ..... द्वारा जमा करता / करती हूँ।

कृपया मुझे महासभा का सदस्य बनाकर अनुग्रहीत करें।

भवदीय—

.....

नाम.....

पिता / पति का नाम.....

निवास का पूरा पता.....

टेलीफोन नम्बर.....

व्यवसाय.....

कार्यालय का नाम, पूरा पता.....

टेलीफोन नम्बर.....

अन्य विवरण—

गोत्र

घोषणा

मैं महासभा के उद्देश्यों से सहमत हूँ तथा उसके नियमों का पालन करने का वचन देते हुए अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता / देती हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

.....

(महासभा द्वारा)

महासभा श्री / श्रीमती..... .....को अपना संरक्षक / आजीवन / साधारण सदस्य बनाना स्वीकार करता है। सदस्यता शुल्क रसीद नं० दिनांक से तक प्राप्त की जा चुकी है।

(अध्यक्ष) (महामंत्री)

मध्य प्रदेश अग्रवाल

प्रवेश-पत्र (ख) का प्रारूप

संस्था के लिये सदस्यता का प्रवेश–पत्र

सेवा में,

महामंत्री जी,
मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा,
जीवन कालोनी, बल्देवबाग, जबलपुर.

महोदय,

हमारी संस्था.....महासभा की मान्यता प्राप्त करना चाहती है। सदस्यता शुल्क.....तथा प्रवेश शुल्क ५-०० कुल.....रुपये भेजे जाते हैं। कृपया संस्था को मान्यता प्रदान करें।

भवदीय,

अध्यक्ष : सचिव.

विवरण—

संस्था का नाम– –
पूरा पता तथा टेलीफोन नं०– –
यदि संस्था पंजीकृत हो तो पंजीकरण का क्रमांक तथा दिनांक– –
स्थापना वर्ष– – सदस्यों की संख्या .....
सदस्यता शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय – प्रति सदस्य प्रति वर्ष.....

अन्य विवरण—

यह संस्था महासभा के उद्देश्यों से सहमत है तथा इसके नियमों का पालन करने का वचन देते हुये अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है।

दिनांक.....
अध्यक्ष : सचिव

संस्था.....से महासभा की सदस्यता का सदस्यता .....रुपये.....वर्ष का रसीद नं०.....से प्राप्त हो चुका है तथा संस्था.....को मान्यता प्रदत्त करता हूं।

अध्यक्ष
दिनांक.....